शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

मानवाधिकार हनन संबंधित समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इरोम शर्मिला के विशेष सन्दर्भ में)

खाईदेम अथौबा मैतै (शोधार्थी)
संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

शोध संक्षेप

आज भारत देश के अनेक क्षेत्र विभिन्न कारणों से अशांत हैं। इस अशांति के मूल में समाजार्थिक समस्याएँ हैं, जिन्हें हल करने में मानव प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा है। पूर्वोत्तर भारत की समस्या बाकी क्षेत्रों के समस्या से भिन्न है। सीमा प्रांत होने से वहाँ मानवाधिकार का प्रश्न भी जुड गया है। मणिपुर की इरोम शर्मिला विगत 13 वर्षों से मानवाधिकार के लिए अनशन कर रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में समाचार पत्रों में उसके अनशन के प्रकाशन पर विचार किया गया है।

मानवाधिकार के बढ़ते हुए मामलों की संख्या के पीछे प्रमुख कारण मानव का गिरता हुआ व्यक्तित्व एवं नैतिक स्तर है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करना तो चाहता है, परन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान नहीं देता। समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। वर्तमान में भारत जैसे देश में आज लगभग सभी राज्यों की सामाजिक स्थिति निराशाजनक है। कहीं बलात्कार, लूट-मार, आतंकवादियों का हमला, उग्रवादी तथा माओवादी संगठनों का हमला आदि की वजह से देश अशांति फैली हुई है। समाज में व्याप्त समस्याओं और इरोम शर्मिला के अनशन का अभी तक सफल न होना इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तथा शर्मिला के अनशन में मीडिया की क्या भूमिका है ? खासतौर पर प्रिंट मीडिया में किस प्रकार का प्रचार-प्रसार हो रहा है आदि बातों को समझने के लिए इस विषय का चयन किया गया है। विश्व में नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद तथा विनाशकारी घटनाओं के बढ़ने के कारण विश्व समुदाय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है।

प्रस्तावना

शर्मिला अपनी पारिवारिक समस्याओं के साथ राज्य में हो रही अनचाही घटनाओं को भी देखती, सुनती व समझती रही हैं। इस तरह की घटनाओं को देखकर वे काफी उदास हो जाती थीं। वह हमेशा सोचती कि इस तरह की समस्याओं का मूल कारण क्या है ? तथा इनका समाधान क्या हो सकता है। उस वक्त मणिपुर में कई गैर-सरकारी संस्थान राज्य में हो रही

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

समस्याओं को लेकर कई प्रकार के काम कर रहे थे। इनमें शान्ति स्थापना और जनता के अधिकारों की रक्षा का काम मुख्य था। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर 2000 से ह्यूमन राईट्स अलर्ट (एच.आर.ए.) नामक एक संस्था में काम करना शुरू कर दिया। ह्यूमन राईट्स अलर्ट संस्था के द्वारा कई कार्यशालाओं के माध्यम से मानवाधिकार संबंधित विषयों पर काम हो रहा था। मानवाधिकार से संबंधित कार्यशालाओं के माध्यम से शर्मिला को देश दुनिया व अपने प्रदेश में मानवाधिकार की स्थितियों का अध्ययन करने तथा उन्हें नजदीक से जानने व समझने का एक मौका मिला। पीपुल्स इंक्वायरी कमीशन का गठन आफ्स्पा कानून (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट) के प्रभावों की छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य किया गया था। मुम्बई उच्च न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीश एच. सुरेश इस कमीशन के अध्यक्ष थे। उनके अलावा दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था 'ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क' (एच.आर.एल.एन) के कॉसिल गोंजाल्विस और प्रीति वर्मा भी उस कमीशन के सदस्य थे। उस दौरान कमीशन के सभी सदस्यों के साथ शर्मिला ने भी मणिपुर के कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार पूरी निष्ठा के साथ लिए। शर्मिला ने संस्था के सदस्यों के साथ कार्य किया तथा उनकी मदद भी की। उस कमीशन के कार्य की प्रक्रिया में शर्मिला को भी अपने प्रदेश के अनेक पीड़ितों से मिलने व बातचीत करने का मौका मिला। उनकी आपबीती सुनी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कानून के तहत सशस्त्र बलों ने आम जनता पर तरह-तरह के जुल्म किए थे। उस छानबीन व साक्षात्कार में कत्ल, हमले, बलात्कार, अपहरण, बेवजह मार-पीट तथा अन्य अपराधों के साथ अनेक वारदातें कमीशन के सामने साफ हो गई। प्रदेश के पीड़ित लोगों से मिल कर उनकी आपबीती व अनुभव सुनना आसान न था। इस तरह की बातों को सुनकर शर्मिला के दिलो-दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचने पर मजबूर हो गई। पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर, पीड़ितों की कष्टप्रद जीवन शैली को देखकर उनका मन बेचैन हो उठा। वे सोचने लगीं कि किस तरह से अपने राज्य में हो रहे हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। जब वे एक संगोष्ठी में भाग लेने के पश्चात घर जा रही थीं, तभी रास्ते में उन्हें मालोम गाँव में सैनिकों द्वारा किए गए भीषण नरसंहार की खबर मिली। उस घटना में दस लोगों की हत्या हुई थी। यह खबर सुनकर शर्मिला को काफी दुःख हुआ। अपने प्रदेश में हो रही बर्बर हिंसा कैसे थमे ? इस प्रकार के कई सवाल उनके मन में उठ रहे थे। वे सोचने लगीं कि राज्य की जनता की सुरक्षा करने के लिए भेजे गए सैनिक आम जनता की हत्या क्यों कर रहे हैं ? इस घटना को बार-बार याद करने से उनका मन आहत व व्यथित हो गया। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर गोलियां चलाई हो। इस घटना के बाद शर्मिला ने राज्य में हो रहे सैनिक अत्याचारों के विरुद्ध व आफ्स्पा कानून को हटाए जाने तथा राज्य में शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने की उद्देश्य से भूख हड़ताल की शुरूआत कर दी जिसे 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु आज तक उनकी माँगें पूर्ण नहीं हुई। शर्मिला का यह संघर्ष हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष है जिसका अंत कब और कैसे होगा ? ये 13 वर्ष इरोम शर्मिला ने इम्फाल के एक अस्पताल में कैदी के रूप में

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

ही काटे हैं। शर्मिला को बीच-बीच में रिहा करते हैं और एकाध दिन में फिर गिरफ्तार की जाती हैं।

जब 4 अक्टूबर 2006 को शर्मिला दिल्ली पहुंची तब उनसे मिलने दिल्ली के मणिपुरी छात्र नेता व समर्थक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे पत्रकार मिलने आए। दूसरे दिन से ही समाचारपत्रों में शर्मिला के संघर्ष व आफ्स्पा द्वारा मानवाधिकार हनन संबंधित उनकी माँगें तथा उनका दिल्ली आने का उद्देश्य आदि बातों को लेकर खबरें छपने लगीं। दिल्ली आने के पश्चात ही शर्मिला की माँगें, उद्देश्य, विचार तथा मणिपुर की सामाजिक स्थिति आदि की जानकारी देश-विदेशों तक पहुँचने लगी जिससे शर्मिला को धीरे-धीरे लोगों का समर्थन प्राप्त होने लगा। दुनिया के सामने आज शर्मिला शांति व इंसाफ की एक प्रतीक बन गई हैं।

शोध प्रणाली एवं पद्धति

इस शोध के दौरान मुख्यतः विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रविधि का सहारा लिया गया है। साथ ही विषय के विशेषज्ञों एवं अन्य विद्वानों से भी विचार-विमर्श किया गया है। शोध आधारित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सहायक ग्रन्थों की भी सहायता ली गई। इस प्रविधि में आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार, पत्राचार, वेबसाईट एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया गया है। इस शोध में आवश्यकता के अनुसार विषय से संबंधित कई सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया है। इस शोध विषय में निम्न शोध-प्रणाली एवं पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार हैं –

1) अवलोकन पद्धति (Observation Method)
2) निदर्शन पद्धति (Sampling Method)
3) अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति (Content Analysis Method)
4) सांख्यिकी पद्धति (Statistical Method)
5) काई-वर्ग परीक्षण (Chi-Square Test)

शोध में सामग्री संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रणालियाँ निम्न हैं -

1. प्रश्नावली (Questionnaire)
2. साक्षात्कार (Interview)

निष्कर्ष

समस्त अध्यायों का अध्ययन कर विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विश्व में प्रारम्भ से ही मानवाधिकार को लेकर चिंतन-मनन होता रहा है। आधुनिक युग में वह एक व्यापक रूप ले चुका है। आज छोटे कस्बों से लेकर दुनिया के हर स्थान पर मानवाधिकार संरक्षण की समस्या पर गहराई से चर्चा हो रही है तथा लोग सचेत भी हो रहे हैं, इसके बावजूद मानवाधिकार का हनन किसी न किसी रूप में मौजूद है। मानवाधिकार सरंक्षण के लिए देश भर में कई योजनाएँ बनाई जा रही है, जिनमें कई सरकारी व गैर-सरकारी संगठन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में मानवाधिकार हनन को रोकने हेतु प्रयासरत हैं। इस शोध में लोगों की राय तथा विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि शर्मिला द्वारा मणिपुर से आफ्स्पा एक्ट 1958 हटाने की माँग पूर्ण रूप से उचित है क्योंकि यह कानून अमानवीय है। अधिकतर जनता का यह मानना है, इस कानून को मणिपुर से इसीलिए हटाना आवश्यक है कि आफ्स्पा कानून का सही उपयोग कम तथा दुरूपयोग अधिक हो रहा रहा है।

इस शोध कार्य में यह निष्कर्ष भी सामने आया है कि उन तमाम समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से तथा मणिपुर राज्य से आफ्स्पा एक्ट 1958 को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से भूख

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला के अनशन की खबरें लोगों तक पहुँचाने में समाचारपत्रों ने अच्छी भूमिका निभाई है। शर्मिला के अनशन की खबरों को देश के अन्य समाचारपत्रों में कम स्थान दिया गया है किंतु क्षेत्रीय समाचारपत्रों में यह खबरें अधिक देखने को मिलती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इरोम शर्मिला के अनशन, संघर्ष तथा उनकी माँगों को लोगों तक पहुँचाने के कार्य में समाचारपत्रों की भूमिका उल्लेखनीय है किंतु यह भी हकीकत है, जिस मात्रा में उनके अनशन की खबरों को समाचारपत्रों में स्थान दिया जाना चाहिए था कहीं न कहीं इसमें कमी देखने को मिलती है। इन प्रदेशों की खबरों को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए ताकि अलग-थलग व अछूते इन राज्यों को तथा वहाँ के नागरिकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। वर्तमान में इरोम शर्मिला के अनशन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी माँग कितनी उचित है तथा समाचारपत्रों में शर्मिला के अनशन की खबरों को कितना प्रकाशित किया जा रहा है अर्थात प्रचार-प्रसार हो रहा है यह जानने के लिए ही यह शोधकार्य किया गया है। इस शोध में शोधार्थी द्वारा तीन समाचारपत्रों में प्रकाशित शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का अध्ययन किया गया है, जो अलग-अलग दिशाओं व उद्देश्य को ध्यान में रख कर शर्मिला से संबंधित खबरों को आवश्यकता के अनुसार खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। इन समाचारपत्रों में शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों को किस हद तक प्रकाशित किया जा रहा है यह जानने के लिए शोधार्थी द्वारा गणनात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अवलोकन पद्धति तथा सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग कर प्राप्त किए गए तथ्य (निष्कर्ष) इस प्रकार हैं –

1 मणिपुर की राजधानी इम्फाल से प्रकाशित होने वाले मणिपुरी समाचारपत्र 'पोकनफम' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 26.42% खबरों को प्रकाशित किया गया है ।

2 मध्य भारत नागपुर से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचारपत्र 'दैनिक भास्कर' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 5.00% खबरों का प्रकाशन किया गया है ।

3 नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचारपत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 5.95% खबरों को प्रकाशित किया गया है ।

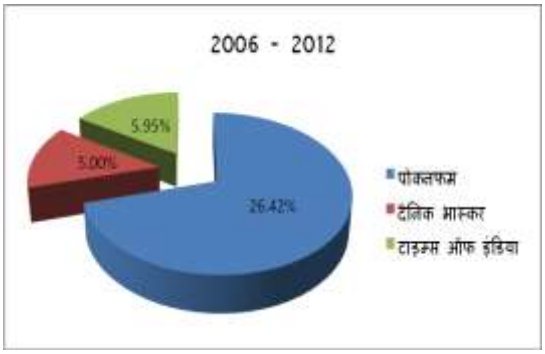

चार्ट : तीनों समाचारपत्रों का 2006 से 2012 तक के शर्मिला के अनशन से संबंधित प्रकाशित खबरों के प्राप्त कुल आंकड़ों का प्रतिशत

आभार

अपने शोध निर्देशक डॉ. अख्तर आलम का जिन्होंने मुझे इस विषय पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की तथा इस कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपना मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान किया। किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए सही निर्देशन एवं मार्गदर्शन आवश्यक है तभी वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकता है। मैं अपने जीवन श्रोत माता-पिता के चरणों में नमन करता हूँ। जिन्होंने मुझे सदैव उच्च शिक्षा प्राप्त

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा मार्ग में आने वाली सभी कठिनाईयों का सामना करने की हिम्मत प्रदान की । मेरी मातृभाषा मणिपुरी है तथा मेरा पिछले कुछ वर्षों में ही हिंदी भाषा से परिचय हुआ है । किंतु मैंने अपनी ओर से वाक्य रचना तथा भाषा को लेकर पूर्ण सावधानी बरती है एवं वाक्य रचनाओं को उत्तम बनाने का पूर्ण प्रयास किया है । मैं अपने शोध निर्देशक तथा अपने मित्रों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे इस शोध प्रबंध में हिंदी भाषा की गरिमा को बनाए रखने में सहायता की है।

संदर्भ ग्रंथ

हिंदी पुस्तकें -

1 अग्रवाल गिरिराजशरण, खानकाही निश्तर, (2000), मानवाधिकार दशा और दिशा, साहित्य बिहार प्रकाशन, बिजनौर

2 आचार्य नन्दकिशोर, (2010), मानवाधिकार की संस्कृति, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर

3 इस्लाम शम्सुल, भारत में अलगाववाद और धर्म वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

4 कैन्सटन मॉरिस, (1974), मानव अधिकार क्या है ?, नेशनल अकाडमी प्रकाशन, दिल्ली

5 कुमार कृष्ण, मानवाधिकार विश्वकोष भाग - 6 शर्मा अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

6 काश्यप सुभाष, (1996), हमारा संविधान (भारत का संविधान और संवैधानिक विधि), निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली

7 कुमार संजय, (2007), पुरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड, विशाल पब्लिकेशन पटना, दिल्ली

8 गौतम रूपचन्द, (2008), दलित मानवाधिकार कान्ती पब्लिकेशन्स दिल्ली

9 गुप्त मानिक लाल, (2000), विश्व का इतिहास कॉलेज ऑफ डेपो प्रकाशन जयपुर

10 चोपड़ा लक्ष्मेन्द्र, (2006),मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन, हरियाणा

11 चौधरी अंजू, (2005), भारत में मानव अधिकार और पुलिस, मानक पब्लिकेशन्स, दिल्ली

12 जोशी.आर.पी. (2006), मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर

13 डीन वेरा माइकल्स (अनुवादक) शर्मा राधेश्याम, (1963), भारत में जन-तंत्र के नवीन आदर्श, सुंदर लाल प्रकाशन, दिल्ली

14 तनेजा पुष्पलता, (2001),मानवाधिकार और बाल शोषण, सत्याहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली

15 देवराज, (1988) मणिपुर:विविध संदर्भ, हिन्दीपरिषद हिन्दी विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर, मणिपुर

16 दयाल मनोज, (2003), मीडिया शोध, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला प्रकाशन, हरियाणा

17 दीवानचन्द, (2005), पश्चिमी दर्शन, छेदा लाल प्रकाशन, लखनऊ

18 नारायणसिंह, (1885), मार्क्स और गांधी का साम्यदर्शन, श्री गोपालचंद्र सिंह प्रकाशन, इलाहाबाद

19 पाण्डेय अरूण, हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

मणिपुरी पुस्तकें

1 अकोइजम आई.एस., (2009), कंलैपाकपु मणिपुर कौरगुमसि, मणिपुर साहित्य समिति थौबाल प्रकाशन, मणिपुर

2 आर.जे. मैतै (2009), मणिपुर साहित्य दा फेमिनिजम, एन.आर. पब्लिकेशन्स, इम्फाल

3 फानजौबम तरापोत प्रियोबत, ऐखोइगी इरैपाक मड.ग, पि.बि. बुक डिश्ट्रीबुर्टस प्राइवेट लिमिटेट पब्लिशिंग मणिपुर

4 लाईरेनमयुम ईबूडोहल सिंह, (2008), मणिपुर, लैरेंमयुम हेमोगो सिंह प्रकाशन, इम्फाल

5 सापमचा जादुमणि, (2008), मणिपुर दा इन्नर लाइन पार्मिट, पारी प्रकाशन, मणिपुर

6 हाओबम सनाजाओबा, (2006), युखल मरूमदा कलमनिश्ट, ऑल मणिपुर मीडिया राइटर्स एण्ड कलमनिश्ट युनियन, इम्फाल

अंग्रेजी पुस्तकें

1 Anand Meena, (2004), Struggle for Human Rights Nelson Mandela, Pub. by. Kalpaz Publications, Delhi

2 Boyle Karen, (2005), Violence Media And Sage, pub. by. India Pvt. Ltd. New Delhi

3 Bhattacharjee JayantaBhusan, Procedings of Northeast India History Associattion, pub. by. RI Khasi, Shillong

4 Baruah Sanjib, Gulliver's Troubles:State and Militants in North-East India, Economic and Poltical Weekly Vol.37. No.41
5 Chadha Vivek, (2013), The Armed Forces Special Power Act The Debate, Pub. by: S.Kumar, New Delhi
6 C.Angle Stephen, Human rights & Chinese Thought, The pitt Building, Trumpington Street Cambridge University, United Kingdom
7 Dhamala Ranju R., Bhattacharjee Sukalpa, (2002), Human Rights and Insurgency The North East India, Pub. by. Shipra Publications, Delhi
8 Donnelly Jack, (2005), Universal Human Rights in Theory and Practice, Pub. by. Manas Publications New Delhi
9 Elaine E. Englehardt Ralph D.Barney, Media And Ethics Thomson Learing Academic Resource Center 1-800-423-0563
10 Laishram Dhanabir, (2006), Norhteast in Benthic Zon Manipur, pub. By. University Research club, Imphal
11 Kapoor Sudhir, (2003), Human Rights in 21st Century, Pub. by. Mangal Deep Publications Jaipur
12 Mehrotra Deepti Priya, (2009), Burning Bright Irom Sharmila and the Struggle for peace in Manipur, pub. By. Penguin Books India pvt. Ltd., New Delhi